ज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

नीलम आदि **बनाम** हरवेल सिंह आदि

अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी प्रकरण संख्या 14 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/29

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी पर सुनी गई, बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अर्ज किया कि प्रकरण संख्या 07/2016 अनवान नीलम आदि बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 14 एस, अन्तर्गत धारा 212 आरटीए जैरकार था, जिसे वादी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 व प्रतिवादीगण ने जानबुझकर मुझ प्रार्थिया/वादी संख्या 3 को धोखे में रखकर राजीनामा का कहकर, दिनांक 26.11.19 को नोटप्रेस कर खारिज करवा दिया गया। मुझ प्रार्थिया का कोई राजीनामा नहीं हुआ हैं इसलिए उक्त अनवान प्रकरण का दावा रिस्टोर किए जाने के आदेश दिए जाकर प्रार्थिया को सुनवाई का अवसर दिया जावे। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रकरण संख्या 07/2016 अनवान नीलम आदि बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 14 एस, अन्तर्गत धारा 212 आरटीए की आदेशिका के अनुसार प्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 व प्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 नोटप्रेस करने पर प्रकरण खारिज किया गया है। इसलिए उक्त अनवान प्रकरण का प्रार्थना पत्र रिस्टोर किया जाना हम विधिसंगत नहीं समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए रिस्टोर भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	